

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई)एस-87/अलेसे-III/२०१२

दिनांक :- १०.०७.१८

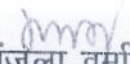
आदेश संख्या: 165/2018-19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के वर्ष 2011 के बैच के कनिष्ठ लेखाकार जिन्हें दो वर्ष के परिवीक्षा प्रशिक्षण काल पर नियुक्ति दी गई थी, को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम- 1963 के नियम- 34 के अन्तर्गत दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्ण पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख कालम में अंकित तिथि से स्थाई किया जाता है :-

क्र.सं.	लिंक नं०	मेरिट नं०	नाम कनिष्ठ लेखाकार	जन्म तिथि	कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्य ग्रहण तिथि	परिवीक्षा प्रशिक्षण काल पूर्ण करने की तिथि	स्थायीकरण तिथि	विशेष विवरण
1.	9792	87	श्री संजय लाल बैरवा	22.12.81	04.12.15	03.12.17	04.12.17	

श्री संजय लाल बैरवा, क० लेखाकार को स्थायीकरण तिथि से पुनरीक्षित वेतमान नियम 17 के अंतर्गत पे-मैट्रिक्स लेवल एल-10 में सैल नं. 01 में मूल वेतन रुपये 33800/- एवं नियमानुसार भत्ते देय होंगे।

कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के नोटिफिकेशन एफ. 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 के बिन्दु 03(iv) एवं अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार राजस्थान सेवा नियम 26 के अन्तर्गत किया जाएगा।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)एस-87/अलेसे-III/२०१२

दिनांक :- 30.07.18

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
3. ☒ उप निदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. अति.निजी सचिव, निदेशक महोदया।
5. श्री क० लेखाकार, कार्यालय


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)